

प्रेस विज्ञप्ति
थाना कोतवाली

गांजा तस्कर गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए सरगना सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

➡ दिनांक 03.05.2024 को थाना प्रभारी कोतवाली मय हमराह मादक पदार्थों के व्यवसाय व तस्करी में संलिप्त महिला सहित 03 अन्तर्जनपदीय तस्कर गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार।

➡ गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-257/2024 धारा 2(ख) (II)/3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि उक्त गांजा तस्करी का गैंगलीडर 1. अमित पुत्र भानू निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष 2. सुशील प्रजापति पुत्र छेदीलाल प्रजापति निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष व अभियुक्ता 3. लालमुनी प्रजापति पत्नी स्व0 कोदई प्रजापति निवासी जोधी का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 26.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 02.05.2024 को थाना प्रभारी कोतवाली शशिमौलि पाण्डेय की तहरीर पर गैंगलीडर 1. अमित पुत्र भानू निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली, आजमगढ़ 2. सुशील प्रजापति पुत्र छेदीलाल प्रजापति निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली, आजमगढ़ 3. आकाश कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी मतलुबपुर थाना अहिरौला आजमगढ़ हा0प0 हाफीजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ 4. लालमुनी प्रजापति पत्नी स्व0 कोदई प्रजापति निवासी जोधी का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 2(ख) (II)/3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री राजनाथ पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 03.05.2024 को थाना प्रभारी शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अमित पुत्र भानू निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष 2. सुशील प्रजापति पुत्र छेदीलाल प्रजापति निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष व अभियुक्ता 3. लालमुनी प्रजापति पत्नी स्व0 कोदई प्रजापति निवासी जोधी का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष को भिन्न भिन्न स्थानों से समय करीब 07.21 से 09.38 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 257/24 धारा 2(ख) (II)/3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित पुत्र भानू निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष
2. सुशील प्रजापति पुत्र छेदीलाल प्रजापति निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
3. लालमुनी प्रजापति पत्नी स्व0 कोदई प्रजापति निवासी जोधी का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त अमित पुत्र भानू व लालमुनी प्रजापति पत्नी स्व0 कोदई प्रजापति

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1-37/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएन एक्ट कोतवाली आजमगढ़

2-17/24 धारा 8/21 एनडीपीएन एक्ट मुबारकपुर आजमगढ़

3- 257/242(ख) (II) / 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 कोतवाली आजमगढ़

2. सुशील प्रजापति पुत्र छेदीलाल का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1-37/24 8/21/29 एनडीपीएन एक्ट कोतवाली आजमगढ़

2-16/24 8/21 एनडीपीएन एक्ट मुबारकपुर आजमगढ़

3-855/13 सार्वजनिक जुआ अधि0 कोतवाली आजमगढ़

4. 257/24 2(ख) (II) / 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री शशि मौलि पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़, का0 नरेन्द्र तिवारी, का0 सत्येन्द्र पाठक, का0 दमन पाण्डेय, म0का0 शिल्पा तिवारी

थाना सिधारी
किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 24.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 22.03.2024 को वादिनी की लडकी परीक्षा देने स्कूल गयी थी एवं अब तक वापस नहीं आयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-99/2024 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.05.2024 को उ0नि0 युगराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **अजय पुत्र मोती निवासी जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष** को उसके घर से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - अजय कुमार पुत्र मोती निवासी जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 99/2024 धारा 363/366 भादवि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ.नि. युगराज सिंह, हे.का. दिलीप पाठक थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर

चोरी की मोटर साइकिल व अवैध-तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.05.2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा बड़े गांव पुलिया (रजादेपुर - हैरैया मार्ग) पर संदिग्ध ब्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, कि हैरैया की तरफ से एक व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल से आया जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह भागने की कोशिश करने लगा जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त जयहिन्द यादव पुत्र स्व सुरेश यादव निवासी ग्राम बाला जानी नयी बस्ती थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष के पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट की) बरामद हुआ।

➡ बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल (सुपर स्पलेण्डर प्लस काली रंग) के सम्बन्ध में अभियुक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल बैंक आफ बडौदा रौनापार से चारी किया है।

➡ उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर दिनांक 23.04.2024 को मु0अ0सं0- 160/2024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

➡ बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 190/2024 धारा 3/25 A ACT व मु0अ0सं0 191/2024 धारा 411/413 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-जयहिन्द यादव पुत्र स्व सुरेश यादव नि0ग्राम बाला जानी नयी बस्ती थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 190/2024 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 191/2024 धारा 411/413 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी- चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 16/2024 धारा 379/411 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ।

2. मु0अ0सं0- 160/2024 धारा 379 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0- 190/2024 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0- 191/2024 धारा 411/413 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विजय सिंह गौड़, का0विन्देश गौड़, का0राजेश यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना रौनापार
छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 30.04.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 25.04.2024 को प्रतिवादी राकेश यादव पुत्र जोखई यादव ग्राम अजगरा मगर्वी (माधो का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ वादिनी की पुत्री को लालच देकर गलत तरीके से हाथ लगाया विरोध करने पर अभियुक्त ने मां बहन की गाली देते हुए मारे पीटे व जान से मारने की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 175/2024 धारा 354 क/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 03.05.2024 को म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र जोखई यादव ग्राम अजगरा मगर्वी (माधो का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को खोजौली तिराहे से समय करीब 07.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 175/2024 धारा 354क/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अभियुक्त केश यादव पुत्र जोखई यादव ग्राम अजगरा मगर्वी (माधो का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा, हे0का0 दिनेश कुमार यादव, का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार
किशोरी से छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 30.04.2024 को अभियुक्त रोहित यादव पुत्र मूरत यादव ग्राम भैसाड थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने वादिनी की लड़की के साथ छेड़खानी किया तथा वादिनी की लड़की द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली गलौज देते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 178/2024 धारा 354ख,504,506,323,452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 03.05.2024 को उ0नि0 दयाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र मूरत यादव ग्राम भैसाड थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को बेलकुण्डा बाजार से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 178/2024 धारा 354ख,504,506,323,452 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- रोहित यादव पुत्र मूरत यादव ग्राम भैसाड थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 दयाशंकर, का0 रवि शर्मा, का0 अमरेश पासवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

साइबर फ्राड के 10,5000 रुपये होल्ड कराकर पीड़ित को वापस कराया गया।

घटना का विवरण.. आवेदक / पीड़ित श्री जगदम्बा बिन्दु किशोर विन्दु ग्राम सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के खाता से दिनांक 27.11.23 को कई किस्तों में कुल 165000 ₹ का साइबर फ्राड हुआ था जिसकी सूचना थाना पर दि0 27.03.2024 को दिये जिसपर CYBER HELP DESK NO 1930 पर काल करके शिकायत सं0 23103240031964 दर्ज कराकर 105000 ₹ होल्ड कराया गया था। आवेदक/पीड़ित के खाते में 105000 रुपये को वापस कराया गया।

पुलिस टीम..

प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़।

कम्प्यूटर आपरेटर संदीप यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़।

प्रेस नोट

जनपद में गैंगेस्टर एक्ट व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान में गैंगेस्टर एक्ट के 02 व 23 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के द्वारा प्रचलित लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखे जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 02.05.2024 की रात्रि में अभियान चलाया गया।

➡ जिसके क्रम में समस्त थानों द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर जनपद से कुल 25 गैंगेस्टर वांछित/वारंटी (गैंगेस्टर वांछित 02 एवं वारंटी 23) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसका थानावार विवरण निम्नवत है।

1. थाना कोतवाली से गैंगेस्टर एक्ट में 02 वांछित अभियुक्त
2. थाना दीदारगंज से 04 वारंटी अभियुक्त
3. थाना रानी की सराय से 03 वारंटी अभियुक्त
4. थाना मेंहनगर से 02 वारंटी अभियुक्त
5. थाना मेहनाजपुर से 02 वारंटी अभियुक्त
6. थाना तरवां से 02 वारंटी अभियुक्त
7. थाना महाराजगंज से 02 वारंटी अभियुक्त
8. थाना रौनापार से 02 वारंटी अभियुक्त
9. थाना मुबारकपुर से 01 वारंटी अभियुक्त
10. थाना जहानांगज से 01 वारंटी अभियुक्त
11. थाना निजामाबाद से 01 वारंटी अभियुक्त
12. थाना बरदह से 01 वारंटी अभियुक्त
13. थाना अतरौलिया से 01 वारंटी अभियुक्त
14. थाना कप्तानगंज से 01 वारंटी अभियुक्त

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना- सरायमीर: दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर के कारावास की सजा व 12 हजार रुपये का जुर्माना

- ➡ दिनांक- 20.09.2020 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अबू ओबैदा पुत्र मो0 अहमद उर्फ पप्पू निवासी मो0 अहमद नि0 शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया।
- ➡ उपरोक्त नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 163/2020 धारा 376, 506 भादवि0 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।
- ➡ बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।
- ➡ मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए हैं।
- ➡ दिनांक- 03.05.2024 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अबू ओबैदा पुत्र मो0 अहमद उर्फ पप्पू निवासी मो0 अहमद नि0 शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।